आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0आर0 वाद संख्या– 01/2017–18

रामजी मंडल –बनाम– राज्य सरकार एवं अन्य

आवेदकः– रामजी मंडल, पिता–स्व0 गेनू मंडल, सा0–इंगलिश, मंगलहाट, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज।

विपक्षीः– (1). राज्य सरकार,
(2). रमेश मंडल, पिता–स्व0 दुखु मंडल, सा0–इंगलिश, मंगलहाट, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज

–: आदेश :–

प्रस्तुत रिभिजन वाद आवेदक रामजी मंडल, पिता–स्व0 गेनु मंडल द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण अपील वाद सं0 06/2008–09 दिनांक 01.12.1016 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल रिभिजन आवेदन के आधार पर अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत की गई एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजमहल से नामांतरण अपील वाद.सं0 06/2008–09 दिनांक 01.12.2016 के मूल अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से मूल अभिलेख प्राप्त।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि अंचल राजमहल के मौजा–कसवा के जमाबंदी संख्या–473, दाग नं0–942 कुल रकवा 02–01–03 धूर भूमि खतियान में गणपत चमार, पिता–अर्जुन चमार के नाम से दर्ज प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा नामांतरण की स्वीकृति दी गई। क्योंकि आवेदक के खास प्रश्नगत भूमि की दस्तावेज एवं दखल कब्जा में है। जबकि विपक्षी के पास उक्त भूमि से सबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है और ना ही दखल कब्जा है। इसके पश्चात भी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा अंचल अधिकारी, राजमहल को दो बिन्दुओं पर उभय पक्ष एक ही वंशज से है तथा प्रश्नगत भूमि दोनों के दखल कब्जा में है, के सुनवाई हेतु अभिलेख को अंचल अधिकारी, राजमहल को वापस कर दिया जो उचित नहीं है।

उनके विज्ञ अधिवक्ता के यह भी कहना है कि मौजा–कसवा के जमाबंदी नं0–473, दाग नं0–942 कुल रकवा 02–01–03 धूर जमीन में से 01–13–03 धूर जमीन रामजी मंडल के दखल कब्जा में है एवं 08 कट्ठा भूमि दुःखु मंडल के पुत्रों के दखल कब्जा में है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उनके द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0 06/2008–09 में दिनांक 07.12.2016 के पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करते हुए अंचल अधिकारी, राजमहल के पारित आदेश को बरकरार (Upheld) करने का अनुरोध किया गया है।

जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत गणपत चमार से केवाला दिनांक 09.07.1968 के द्वारा दुःखु मंडल एवं किशन मंडल को प्राप्त हुआ। उक्त भूमि पर जीतन, मंडल रमेश मंडल, भगवान मंडल, पिता–स्व0 दुःखु मंडल एवं महानंद मंडल, पिता–बल्लु मंडल एवं दिलीप मंडल, पिता–स्व0 महानंद मंडल को पिछले 40 वर्षों से दखल कब्जा में है। उक्त भूमि पर दखल केवाला के आधार पर दुःखु मंडल एवं महानंद मंडल के नाम से है।

उन्होंने यह भी कहा कि अंचल अधिकारी, राजमहल ने अंचल के हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का नजर अंदाज करके प्रश्नगत भूमि का नामांतरण आवेदक रामजी के पक्ष में कर दिये जो उचित नहीं है।

उन्होंने आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा पारित आदेश यथावत (Upheld) रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि खतियानी रैयत गणपत चमार द्वारा एक ही भूमि को दो क्रेताओं को बेचा है एवं दोनों व्यक्तियों के नाम से पंजी–II में नाम दर्ज होना उचित नहीं है। दोनों व्यक्ति एक ही जमाबंदी के भूमि का क्रय किये है।

विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल ने यह भी उल्लेख किये है कि जमाबंदी की वैधता की विधिवत जाँचोपरान्त गलत जमाबंदी रद्ध करने का प्रस्ताव तैयार कर विधिवत प्रेषित की जानी चाहिए। तदोपरान्त नामांतरण कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतएव उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा दोनों व्यक्तियों के दखल–कब्जा मानने के पश्चात भी नामांतरण की कार्यवाही रामजी मंडल के पक्ष में करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

झारखण्ड भूमि नामांतरण नियमावली 2011 के आधार पर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर वास्तविक दखल कब्जा को देखते हुए स्वयं स्थल जाँच के आधार पर विधिसम्वत नामांतरण की कार्रवाई करेंगे। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल एवं अंचल अधिकारी, राजमहल को आदेश की प्रति भेजें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

2/11/21

उपायुक्त,
साहेबगंज।

2/11/21

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.08.25 13:03:07 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner